कार्यकारी सार

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,88,016 करोड़ की सीमा शुल्क प्राप्तियों में पिछले वित्तीय वर्ष में नौ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जिसमें अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 34 प्रतिशत और सकल कर राजस्व का 15 प्रतिशत बनता है। जीडीपी में संग्रहीत सीमा शुल्क के अनुपात में 1.5 प्रतिशत की कमी आई, तथापि, छोड़े गए शुल्क में पिछले पांच वर्षों में ₹ 4,97,945 करोड़ तक 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

इस रिपोर्ट में ₹ 1162 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ है, इसमें ₹ 37,852 करोड़ मूल्य के कुछ प्रणालीगत एवं आंतरिक नियंत्रण मामलों के अलावा 122 पैराग्राफों को कवर किया गया है। इसमें ₹ 82 करोड़ मौद्रिक मूल्य वाले 80 पैराग्राफ शामिल है जिन पर विभाग/मंत्रालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेते हुए और ₹ 22 करोड़ की वसूली हेतु कारण बताओं नोटिस जारी करके परिशोधन कार्रवाई की गई थी। इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुल महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

अध्याय I: सीमाशुल्क राजस्व

इस अध्याय में वित्त लेखों, विभागीय लेखों और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध संबंधित डाटा से डाटा का उपयोग करके सीमाशुल्क में प्रवृत्ति, संघटन और प्रणालीगत मामलों पर चर्चा की गई है।

- जीडीपी के अनुपात के रूप में सीमा शुल्क राजस्व में वि.व. 14 और वि.व. 15 में गिरावट की प्रवृति दर्ज की गई।

  {पैराग्राफ 1.5}

- वि.व. 15 के दौरान नियातों में 0.45 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज हुई जबकि आयातों में 0.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सीमा शुल्क प्राप्तियों में उसी अवधि के दौरान 9 प्रतिशत वृद्धि हुई।

  {पैराग्राफ 1.6 से 1.8}

- छोड़े गए राजस्व में निर्यातों में अनुरूप वृद्धि के बिना चरघातांकी तरीके से वृद्धि हुई। योजनाओं के अंतर्गत छोड़े गए कुल राजस्व का 80 प्रतिशत पांच योजनाओं के कारण था।

{पैराग्राफ1.11}

- वित्तीय वर्ष 15 की समाप्ति पर विभाग द्वारा मार्च 2015 तक मांग किए गए ₹ 20,808 करोड़ के सीमा शुल्क की उगाही नहीं की गई थी। इसमें से ₹ 6,211 करोड़ अविवादित था। वि.व.15 के दौरान आठ जोनों में लगभग 76 प्रतिशत कुल राजस्व बकाया की गणना की गई थी।

{पैराग्राफ1.13}

अध्याय II: अनंतिम निर्धारण (सीमा शुल्क)

- अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने में असामान्य विलंब हुए थे और इसके परिणामस्वरूप राजस्व की उगाही में स्थगन हुआ। ₹ 108389.37 करोड़ से अधिक मूल्य के बॉण्ड 36000 मामलों से अधिक सीमा शुल्क राजस्व के संग्रहण हेतु 6 माह से अधिक समय से लंबित पड़े थे।
- अनंतिम निर्धारण, अनंतिम शुल्क, बॉण्ड और बैंक प्रत्याभूति प्रबंधन से संबंधित सीमा शुल्क नियमों, विनियमों के अननुपालन के कई मामले थे। आईसीईएस 1.5 में अनन्तिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए मॉडयूल को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- लेखापरीक्षा ने व्यवस्थित कमियों के अतिरिक्त किसी प्रतिभूति या बैंक गारन्टी के बिना ₹ 28679.48 करोड़ मूल्य के निष्पादित बॉण्डों के जारी करने सहित ₹ 545.92 करोड़ मूल्य के मामले देखे जिन्हें परिमाणित नहीं किया जा सका।

{पैराग्राफ2.1 से 2.30}

अध्याय III: आयातित/पुनः आयातित माल का पुनः निर्यात

- पुन:निर्यात संव्यवहारों के प्रबंधन, बॉण्ड प्रबंधन पर अपर्याप्त सूचना और कमिश्नरियों द्वारा पुनः आयात/निर्यात अभिलेखों के अनुचित रखरखाव के परिणामस्वरूप कमिश्नरियों और सीबीईसी द्वारा अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, प्रबंधन और मॉनीटरिंग हुई।

- लेखापरीक्षा ने केवल 26 प्रतिशत व्यापार संव्यवहारों के आधार पर ₹ 308.26 करोड़ मूल्य की अनियमितताएं देखी विशेष रूप से सीमाशुल्क राजस्व वहन करने वाली सामग्री पर अधिसूचनाओं की शर्तें, अधिनियम के प्रावधानों या बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों के अननुपालन के मामलों में। आंतरिक नियंत्रण की कमी और चूक तथा प्रणालीगत अपक्रिया के कुछ अन्य मामले देखे गए जिन्हें कमिश्नरियों/सीबीईसी के पास आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण परिमाणित नहीं किया जा सका था।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.45}

अध्याय IV: सीमा शुल्क राजस्व का निर्धारण

हमने कुल ₹ 53.65 करोड़ के सीमाशुल्क के गलत निर्धारण का पता लगाया। ये मुख्यत: टीईडी प्रतिदाय राशि की वसूली न करने, सीमाशुल्क लागत वसूली प्रभारों की वसूली न करने, लागू एन्टी डम्पिंग शुल्क का कम उदगृहण या उदगृहण किए बिना निष्कासित आयातों, विदेशी शराब के आयात, विशेष मूल्यांकन आदि के कारण थे।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.10}

अध्याय V: शुल्क छूट/शुल्क माफी योजनाएँ

- निर्यातकों/आयातकों से ₹ 168.94 करोड़ का राजस्व बकाया था जिन्होंने शुल्क छूट योजनाओं का लाभ लिया था किन्तु उन्होंने निर्धारित दायित्व/शर्तें पूरी नहीं की थीं।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.10}

अध्याय VI: सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

- छूट अधिसूचनाओं के गलत लागूकरण के कारण ₹ 1.52 करोड़ के शुल्क का कम उदगृहण हुआ।

{पैराग्राफ 6.1 से6.6}

अध्याय VII: माल का गलत वर्गीकरण

- सामानों के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 1.70 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

{पैराग्राफ 7.1 से 7.7}